तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/6/13	पत्रावली लोक अदालत केम्प बनेठिया में पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता मजमें आम में उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी नें कथन किये कि विवादित वाके ग्राम खेडली तंवरान स्थित वर्तमान ख0नं0 768 रकबा 0.25 हे0 भूमि पर खातेदारो का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वादी एवं वादी के पूर्वज ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। बाद सेटलमेंट उक्त भूमि वादी के पिता के खातें में दर्ज नहीं कर सिवाय चक दर्ज कर दी गई। अतः उक्त भूमि पर वादी को खातेदार घोषित किया जावें। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। वादी का विवादित भूमि पर अनवरत कब्जा हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है वादी द्वारा मात्र 91 एलआरएक्ट का नोटिस प्रस्तुत किया है। वादी के विधिक स्वत्व विवादित भूमि पर प्रमाणित नहीं होते है। वर्तमान में विवादित आराजी खाता सरकार दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर वादी के कथनानुसार मात्र कब्जें के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिकी जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प बनेठियां

उनवान

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 रामगोपाल जाति मीणा निवासी जहांगीरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा – वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा – प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 86/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी खारिज किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 19.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner